

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/6/बजट-2210/2020-21/955

भोपाल, दिनांक 17/11/2020

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला- मंडला, डिण्डोरी, बैतुल, छिन्दवाडा, सीधी, धार, अलीराजपुर, खरगौन,
बडवानी, होशंगाबाद, श्योपुर, बुरहानपुर, झाबुआ, खण्डवा, बालाघाट, सिवनी, शहडोल,
उमरिया, अनूपपुर एवं रतलाम
म0प्र0 ।

विषय:- प्रदेश के आदिवासी विकास खण्डों में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विभाग के अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सकों की उपलब्धता
सुनिश्चित करने के लिए "सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना" अंतर्गत
भुगतान के संबंध में ।


संदर्भ:- संचालनालय के पत्र क्रमांक/6/बजट/2210/2020-21/55 दिनांक 28.05.2020

000

विषयांतर्गत म0प्र0 शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक
एफ 10-25/2019/सत्रह/मेडि-02, भोपाल दिनांक 08.01.2020 द्वारा स्वीकृत योजना
"मुख्यमंत्री सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना" के तहत संचालनालय के पत्र
क्रमांक/5/विकास/सेल-2/2020/ 69-70 भोपाल दिनांक 06.02.2020 द्वारा आदिवासी
बहुल 89 विकासखण्डों में स्थित पीएचसी/सीएचसी में से 21 अति पिछड़े विकासखण्डों
एवं 68 पिछड़े विकासखण्डों में कार्यरत चिकित्सा विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी/संविदा
चिकित्सक को योजनांतर्गत स्वीकृत चिकित्सक प्रोत्साहन भत्ता का लाभ प्रदान करने के
निर्देश दिये गये हैं ।

संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको निर्देशित किया गया था, कि चिकित्सा प्रोत्साहन
भत्ता हेतु स्वीकृत योजना 019-2210-03-103-0101-5507-11-008 में राशि प्राप्त होने पर
ही "मुख्यमंत्री सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना" के तहत कार्यरत चिकित्सा
विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी/संविदा चिकित्सक को योजनांतर्गत चिकित्सक प्रोत्साहन
भत्ता का आहरण किया जाये ।

चिकित्सक प्रोत्साहन भत्ता हेतु संचालनालय स्वास्थ्य की योजना लेखाशीर्ष 019-2210-
03-103-0101-5507-11-008 में ग्लोबल बजट आवंटन उपलब्ध है । शासन से जारी उपरोक्त
निर्देशों का पालन करते हुये सम्बन्धित चिकित्सकों को "चिकित्सा प्रोत्साहन भत्ता" का
भुगतान करना सुनिश्चित करें ।


(डॉ. संजय गोयल)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

2.....

3. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
5. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक, सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
7. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
8. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
9. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
11. आयुक्त कोष, लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
12. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
13. समस्त अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. मुख्य अभियंता (भवन), स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
15. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
16. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
17. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
18. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश